संख्या-03/2025/001-176डब्लू(1)-24-27-3099-261-2024

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2025**

विषय:रिट याचिका संख्या-24698/2022 छोटेलाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-506/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा, दिनांक 06.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली से सम्बन्धित बदायूँ सिचाई परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर व अफलक्स बंध का निर्माण हेतु आपसी समझौते से ली गयी भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु रिट याचिका सं0-24698/2022 छोटेलाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में धनराशि रू0 85,680.00 (रूपये पचासी हजार छह सौ अस्सी) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: बाढ़ खण्ड, बरेली से सम्बन्धित बदायूँ सिचाई परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर व अफलक्स बंध का निर्माण हेतु आपसी समझौते से ली गयी भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु रिट याचिका सं0-24698/2022 छोटेलाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में धनराशि रू0 85,680.00 (रूपये पचासी हजार छह सौ अस्सी) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 85,680.00 (रूपये पचासी हजार छह सौ अस्सी) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-19-050-10-16-24 पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।

6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद।

7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- कोषाधिकारी, बरेली।

9- अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली।

10- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली।

11- सिंचाई अनुभाग-9

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।